वित्त निर्देश 23/2023

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्र. 430/558/वित्त/नि./चार/2023, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 02.08.2023

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषयः—राज्य शासन के कर्मचारियों को पुनरीक्षित दरों पर गृह भाड़ा भत्ते की स्वीकृति।

संदर्भः—(1) वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 52/38/2010/वि./नि./चार, दिनांक 22.02.2010 (वित्त निर्देश 10/2010)

(2) वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 253/306/वि./नि./चार, दिनांक 01.08.2011 (वित्त निर्देश 34/2011)

——0——

राज्य शासन के कर्मचारियों को वर्तमान में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 52/38/2010/वित्त/नियम/चार, दिनांक 22.02.2010 एवं ज्ञापन क्रमांक 253/306/वित्त/नियम/चार, दिनांक 01.08.2011 द्वारा स्वीकृत दरों से गृह भाड़ा भत्ता देय है। छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षिण नियम, 2017 के अंतर्गत राज्य शासन ने गृह भाड़ा भत्ते की वर्तमान दरों को पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया है। तद्नुसार गृह भाड़ा भत्ते की नई दरें वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 16—4—1987 एवं ज्ञापन दिनांक 15—6—1987 में उल्लेखित शर्तो एवं प्रतिबंधो के अधीन निम्नानुसार होगीः—

क्र.	नगरों का वर्गीकरण	नगरों का नाम	गृह भाड़ा भत्ते की दर (मूल वेतन पर देय)	
			महंगाई भत्ता 25% होने पर	महंगाई भत्ता 50% होने पर
1	'बी—2' श्रेणी	रायपुर, दुर्ग—भिलाई नगर	9%	10%
2	'सी' श्रेणी	बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव, जगदलपुर, रायगढ़, चिरमिरी, दल्ली—राजहरा, अम्बिकापुर, धमतरी, भाटापारा, जांजगीर—चांपा	6%	7%
3	अन्य क्षेत्र		6%	7%
4	दिल्ली स्थित राज्य शासन के कार्यालयों हेतु		27%	30%

2/ गृह भाड़ा भत्ते की गणना के लिये 'मूल वेतन' से तात्पर्य नवीन पुनरीक्षित वेतनमान, 2017 के वेतन मैट्रिक्स में विहित लेवल में आहरित वेतन से है।

3/ छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अंतर्गत विद्यमान वेतनमान में बने रहने का विकल्प देने वाले कर्मचारियों को भी उपर्युक्त गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता निर्धारित प्रतिबंधों एवं शर्तो के अधीन होगी। इन कर्मचारियों के लिये गृह भाड़ा भत्ते की गणना हेतु वेतन के प्रयोजन के लिये विद्यमान वेतनमान में मूल वेतन व वैयक्तिक वेतन (यदि हो तो), को 2.57 के गुणक से गुणा करने से प्राप्त राशि होगी।

4/ ये आदेश कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे।

5/ गृह भाड़ा भत्ते की ये दरें आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगी।

6/ यह सुनिश्चित किया जाये कि इन आदेशों के अंतर्गत देय गृह भाड़ा भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के लिये स्वीकृत बजट प्रावधान के अंतर्गत हो।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(इन्द्रप्रकाश रात्रे)
अवर सचिव

पृ.क्र.431 / 558 / वित्त / नियम / चार / 2023 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक02.08.2023

प्रतिलिपिः—

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
4. रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग / मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री / राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
9. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के निज सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर—19, नवा रायपुर, अटल नगर
13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
14. समस्त विशेष सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / शोध अधिकारी / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
15. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
16. मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
18. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला / इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर / बिलासपुर, छत्तीसगढ़
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
21. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
22. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

— को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु

23. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट finance.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु

(इन्द्रप्रकाश रात्रे)
अवर सचिव